Shri S. S. Kothari:
Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the progress made so far in the simplification of the tax structure in this country;

(b) whether any such scheme is under the active consideration of Government; and

(c) the expected time that will be taken to finalise this scheme?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant): (a) A statement showing the progress made during the last few years towards simplification of the tax structure is laid on the Table of the House [*Placed in library. See* No LT-930/67]

(b) The Government had constituted a Tariff Revision Committee in 1964 to conduct a comprehensive enquiry into the structure of the Indian Customs Tariff. The Committee has since submitted its report which is now being examined by the Government. Last year, this Committee was also entrusted with the work of revising the Central Excise tariff and its report in the matter is awaited Recently, Government have also appointed Shri S Bhoothalingam, formerly Secretary, Ministry of Finance, as a One-Man Committee, for recommending measures for simplification and rationalisation of the existing structure of direct and indirect taxation

(c) Some of the measures of rationalisation and simplification which have been recommended by Shri Bhoothalingam in his first Interim Report have been accepted and are being implemented through provisions in the Finance (No 2) Bill, 1967, which is now before the House. As the report of the Tariff Revision Committee on Central Excise and the final report of the One-Man Committee on Tax Laws are yet to be received, the expected time that may be taken for implementing the recommendations cannot be indicated at this stage

Rajasthan Canal

*965. **Dr. Karni Singh:**
Shrimati Nirlep Kaur:
Shri Ram Singh Ayarwal:
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri Y. S. Kushwah:

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state·

(a) whether any definite policy for the allotment of the land commanded by the Rajasthan Canal to landless tillers has been laid down;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons for delay in the matter?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Rules for allotment of land to the landless tenants have been framed and are under discussion.

(b) and (c) Do not arise.

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम

*966. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में कुछ कमियां होने के कारण खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण करने वालों को उचित दण्ड नहीं दिया जाता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली नगर निगम तथा कुछ अन्य संगठनों ने मांग की है कि इस अधिनियम में संशोधन किय जाये ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस अधिनियम में संशोधन करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) जी, नही ।

(ग) यह प्रश्न नही उठता ।

आय की उपरि सीमा

*967. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार सिंह :

क्या योजना मत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आय की उपरि सीमा निर्धारित करने के पक्ष में नहीं है ;

(ख) क्या सरकार ने कम अथवा सीमित आय वाले लोगो की आय साधन बढ़ाने के बारे मे कोई निर्णय किया है ;

(ग) यदि हा, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) सरकार ने आय की कानूनी उच्चतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया है । सरकार अपने समानता के उद्देश्य की पूर्ति योजनाबद्ध विकास तथा राजकोषीय, संस्थागत और अन्य उपायों द्वारा करना चाहती है ।

(ख) योजना तथा सामाजिक नीति का प्रमुख निरन्तर उद्देश्य यह है कि कम आय वाले लोगों को अपनी आय में बढ़ोतरी करने योग्य बनाया जाये ।

(ग) योजना में, उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति बहुमुखी प्रयत्नो द्वारा करने की कोशिश की गई है । विभिन्न प्रयत्नों मे निम्न भी सम्मिलित है :—

(1) योजनाबद्ध विकास द्वारा गार के अवसरों मे बढ़ोतरी करना ;

(2) अत्यधिक बेरोजगारी तथा अपूर्ण-रोजगार वाले क्षेत्रों में मन्दी के मौसम में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष ग्राम निर्माण कार्य-क्रम शुरू करना ;

(3) राज्य या सरकारी अभिकरणों के माध्यम से छोटे उत्पादकों को वित्तीय, तकनीकी, अनुसंधान, सम्भरण, विपणन, प्रोत्साहनात्मक तथा अन्य प्रकार की सहायता के रूप में सरकारी-सहायता उपलब्ध करना ;

(4) कानूनी तौर पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करना ;

(5) विशेषकर कम आय वाले लोगों के लाभ के लिए सामाजिक सेवाओं का विस्तार करना ;

(6) बिचौलियो की समाप्ति तथा काश्त सुरक्षा जैसे संस्थागत परिवर्तन करना ;

(7) ठीक प्रकार से सामाजिक मेल मिलाप मे बाधक जाति, वर्ग अथवा अन्य ऐसी अन्य कड़ाइयों को कम करने के उपाय करना ; और